भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3052
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सूचीबद्ध अस्पतालों की निगरानी

3052. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रतिष्ठित अस्पतालों में रोगियों की अनावश्यक एंजियोप्लास्टी, शल्य चिकित्सा के कारण होने वाली मौतों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में धोखाधड़ी/अनावश्यक शल्य चिकित्सा के कितने मामले सामने आए हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए मौजूद निगरानी तंत्र की समीक्षा किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कपटपूर्ण कार्यों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी की गतिविधियां करने के दोषी पाए गए अस्पतालों को पैनल से हटाने और भविष्य में रोगियों के हितों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): प्रतिष्ठित अस्पतालों में अनावश्यक एंजियोप्लास्टी और सर्जरी के कारण मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन मामलों में उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, दोषी अस्पतालों और डॉक्टरों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) से निलंबित कर दिया गया है।

दिनांक 11.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कुल 3,42,988 धोखाधड़ी के मामलों की पहचान की गई है। इनमें से 2,86,771 मामले चिकित्सा प्रबंधन के हैं और 56,217 मामले सर्जिकल प्रबंधन श्रेणी के हैं।

(ग) और (घ): एबी-पीएमजेएवाई योजना के लाभार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है। यह योजना किसी भी तरह की धोखाधड़ी और दुरुपयोग के प्रति अक्षम्य दृष्टिकोण के आधार पर संचालित होती है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर योजना में होने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई (एनएएफयू) की स्थापना की गई है और यह धोखाधड़ी और दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उनके खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य धोखाधड़ी विरोधी इकाइयों (एसएएफयू) के साथ समन्वित रूप से काम करती है। निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्ड को निष्क्रिय करना, दोषपूर्ण अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने सहित समुचित कार्रवाई की जाती है।

एनएचए आईटी सिस्टम पर लेन-देन संबंधी आंकड़ों की निगरानी वास्तविक आधार पर एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है जिसे जोखिम मूल्यांकन पहचान और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग (आरएडीएआर) के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, धोखाधड़ी नियंत्रण के समग्र परिदृश्य हेतु योजना के तहत एक धोखाधड़ी नियंत्रण ट्रैकिंग प्रणाली (एफएसीटीएस) विकसित की गई है, जिसमें संदिग्ध लेनदेन पर रिपोर्टिंग से लेकर की गई कार्रवाई पर नज़र रखना शामिल है। पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (ईएचसीपी) के विरूद्ध धोखाधड़ी और दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए विविध उपाय किए गए हैं।

*****